आवश्यक/महत्वपूर्ण
संख्या-18/2019/1490/तीस-4-2019

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4, **लखनऊ : दिनांक 09 सितम्बर, 2019**

विषयः-डिजीलाकर (DigiLocker) या एम-परिवहन एप (mParivahan App) पर उपलब्ध वाहनों के अभिलेखों (Documents) को क्षेत्रीय पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वैध माने जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-1455/तीस-4-2018, दिनांक 31 जनवरी, 2019 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डिजीलाकर (DigiLocker) या एम-परिवहन एप (mParivahan App) पर उपलब्ध वाहनों के अभिलेखों (Documents) को क्षेत्रीय पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वैध माने जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-आरटी-11036/64/2017-एमवीएल, दिनांक 08.08.2018 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त शासनादेश द्वारा डिजीलॉकर प्लेटफार्म या एम परिवहन मोबाइल एप पर इलेक्ट्रानिक फार्म में उपलब्ध वाहन के डाक्यूमेन्ट्स यथा- पंजीयन प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वैध माने जाने तथा उन्हें परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के समतुल्य समझे जाने की अपेक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये है कि प्रवर्तन कार्य के समय किसी भी अभियोग के अधिरोपित होने की स्थिति में वाहन के डाक्यूमेन्ट्स यथा- पंजीयन प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को जब्त करना आवश्यक हो तो प्रवर्तन अधिकारी डाक्यूमेन्ट को ई-चालान सिस्टम द्वारा जब्त किया जाय, जिससे जब्त डाक्यूमेन्ट की स्थिति सारथी/वाहन डाटाबेस पर प्रदर्शित हो तथा किसी भी डाक्यूमेन्ट को भौतिक रूप से जब्त करना आवश्यक नहीं है। उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी सम्बन्धितों को भी सूचित किया जाय। शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार न होने से जनमानस को उक्त सुविधा का लाभ नहीं हो पा रहा है।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया परिवहन अनुभाग-4 के उक्त शासनादेश दिनांक 31.01.2019 द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों का इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनमानस के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

समस्त अधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**अरविन्द कुमार**)
प्रमुख सचिव।

संख्या-18/2019/1490/तीस-4-2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव गृह एवं गोपन, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।(द्वारा परिवहन आयुक्त)
6. समस्त उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।(द्वारा परिवहन आयुक्त)
7. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन)/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश। (द्वारा परिवहन आयुक्त)
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**अनिल कुमार मिश्र**),
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।